COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910

(1910 का अधिनियम संख्यांक 10)

[18 मार्च, 1910]

भारतीय संग्रहालय से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

यत: भारतीय संग्रहालय से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना समीचीन है ; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश करे।

न्यासियों का निगमन

2. भारतीय संग्रहालय के न्यासियों का गठन और निगमन—[2][(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् न्यासी कहा गया है) निम्नलिखित होंगे :—

(क) पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों से सम्पृक्त मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव, पदेन ;

(ग) कलकत्ता निगम का महापौर, पदेन ;

(घ) कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति, पदेन ;

(ङ) पश्चिमी बंगाल का महालेखापाल, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति, जिनमें से एक वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधि होगा और पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से चुना जाएगा ;

(छ) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(ज) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति :

परन्तु यदि खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट न्यासियों में से कोई न्यासियों की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, किसी व्यक्ति को लिखित रूप में ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।]

(2) न्यासी, "भारतीय संग्रहालय के न्यासी" नाम से एक निगमित निकाय होंगे जिनका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और उक्त नाम से वाद ला सकेंगे और उन पर वाद लाया जा सकेगा, और उन्हें सम्पत्ति अर्जन करने और धारण करने की, संविदा करने की, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक और सुसंगत कार्य करने की शक्ति होगी।

(3) जैसा इसमें अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय नामनिर्दिष्ट न्यासी तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु किसी न्यासी को नामनिर्दिष्ट करने वाला प्राधिकारी इसी प्रकार की एक या अधिक कालावधियों के लिए उसकी पदावधि में विस्तार कर सकता है।

3. न्यासियों की न्यूनतम संख्या और गणपूर्ति—(1) उक्त निगमित निकाय की शक्तियों का प्रयोग केवल तभी और उन्हीं समयों पर किया जा सकेगा जब उसके [3][छह] सदस्य हों।

---

[1] 1 जून, 1910, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1910, भाग 1, पृ० 411.

[2] 1960 के अधिनिमय सं० 45 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा "नौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) न्यासी की बैठक में कार्य करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति [1][चार] से कम नहीं होगी ।

4. नए न्यासी नियुक्त करने की शक्ति—यदि किसी नामनिर्दिष्ट न्यासी—

(क) की मृत्यु हो जाती है, या

(ख) वह न्यासी की बैठक से लगातार, बारह मास से अधिक अनुपस्थित रहता है, या

(ग) वह उन्मोचित होना चाहता है, या

(घ) वह कार्य करने से इंकार करता है या अक्षम हो जाता है, या

(ङ) उसकी [2][धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट पदों में से किसी] के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति हो जाती है तो,

वह प्राधिकारी जिसने न्यासी को नामनिर्दिष्ट किया था उसके स्थान पर एक अन्य न्यासी नामनिर्दिष्ट कर सकता है ।

5. [विद्यमान न्यासियों द्वारा पदों का रिक्त किया जाना ।]—भारतीय संग्रहालय (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 45) की धारा 5 द्वारा निरसित ।

न्यासी की सम्पत्ति और शक्तियां

6. सम्पत्ति का न्यासियों में निहित होना या उनके नियंत्रण के अधीन होना—(1) सभी सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर [3]भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1876 (1876 का 22) द्वारा गठित भारतीय संग्रहालय के न्यासियों द्वारा, उक्त संग्रहालय के प्रयोजनों के लिए न्यासत: धारित है, ऐसी सम्पत्ति सहित जो इसके पश्चात् उक्त प्रयोजनों के लिए दी जाए, वसीयत की जाए, अन्तरित की जाए या अर्जित की जाए, इस अधिनियम द्वारा गठित भारतीय संग्रहालय के न्यासियों में उक्त संग्रहालय के प्रयोजनों के लिए न्यासत: निहित होगी :

परन्तु न्यासी ऐसी सम्पत्ति के, जो धन भी हो सकती है, किसी भाग की पूंजी, उक्त संग्रहालय में निक्षिप्त, उसको अर्पित या उसके लिए क्रय किए गए संग्रहों के अनुरक्षण, अभिवृद्धि और विस्तार के लिए या उनके प्रयोजनों के लिए जैसे वे ठीक समझें अन्यथा व्यय कर सकते हैं ।

(2) न्यासी का ऐसे नियोजन के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पर ऐसे भवनों सहित जो उस पर हों, या इसके पश्चात्, उस पर बनाए गए हों, उन प्रभागों से भिन्न जो न्यासी द्वारा भारत के भू-वैज्ञानिक-सर्वेक्षण के अभिलेखों और कार्यालयों के लिए अलग कर दिए गए हों, अनन्य कब्जा, अधिभोग और नियंत्रण होगा ।

7. न्यासी की संग्रहों की वस्तुओं का विनिमय करने, विक्रय करने और उन्हें नष्ट करने की शक्ति—इस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों के अधीन न्यासी, समय-समय पर,—

(क) इस अधिनियम के अधीन उनमें निहित किसी संग्रह को सम्पूर्णतया उसका कोई भाग या उसकी कोई वस्तु, किसी व्यक्ति को उधार के रूप में दे सकते हैं ;

(ख) ऐसे किसी संग्रहालय की किन्हीं वस्तुओं को विनिमय कर सकते हैं या उनकी अनुकृतियों को बेच सकते हैं और ऐसी अनुकृतियों के स्थान पर ऐसी वस्तुओं को जो उनकी राय में संग्रहालय में रखने योग्य हों ले सकते हैं या क्रय कर सकते हैं ;

(ग) [4][भारत] में अन्य संग्रहालयों को ऐसे संग्रहों में किन्हीं वस्तुओं की अनुकृतियां अर्पित कर सकते हैं ; और

(घ) ऐसे किसी संग्रह की किसी वस्तु को हटा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं ।

8. न्यासी की उपविधि बनाने की शक्ति—(1) न्यासी, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उनके न्यास के निष्पादन में आवश्यक किसी प्रयोजन के लिए इस अधिनियम [5][और तद्धीन बनाए गए नियमों] से सुसंगत [6][उपविधियां, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकते हैं ।]

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा "छह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा "धारा 2, खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पद" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] इस अधिनियम की धारा 17 द्वारा निरसित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) "उपविधियां बना सकते हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना [1][ऐसी उपविधियां] निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकती हैं :—

(क) न्यासी की साधारण और विशेष बैठकों का बुलाया जाना, आयोजन और स्थगन किया जाना ;

(ख) ऐसी बैठकों में न्यासियों को उपस्थित करना ;

(ग) कार्यवृत्त और लेखा पुस्तकों की व्यवस्था और उसका रखना ;

(घ) सूची बनाना ;

(ङ) न्यासी में निहित संग्रह की वस्तुओं को उधार देना ;

(च) ऐसे संग्रहों की वस्तुओं की अनुकृतियों का विनिमय और विक्रय और [2][भारत] के अन्य संग्रहालयों को उनका अर्पण ;

(छ) ऐसे संग्रहों की वस्तुओं का हटाया जाना और नष्ट किया जाना ;

(ज) संग्रहालय का साधारण प्रबन्ध ।

[3][(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक उपविधि को उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु उपविधि के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[4][**9. न्यासी की अधिकारी और सेवक नियुक्त करने की शक्ति**—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन, न्यासी इतने अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकते हैं जितने वे न्यास सम्पत्ति की देख-रेख और प्रबन्ध के लिए आवश्यक और उचित समझें और उनके कृत्यों का अवधारण कर सकते हैं ।

(2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाएंगी ।

न्यासी के कर्तव्य

[5][**10. बजट**—न्यासी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस सरकार को, उस सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट प्ररूप में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति और व्यय के प्राक्कलन दिखाए जाएंगे ।

10क. वार्षिक रिपोर्ट और लेखे—(1) न्यासी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र,—

(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय या तारीख के अन्दर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलाप का सही और पूरा वृत्त देते हुए एक रिपोर्ट और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिनकी होने की संभाव्यता है उन क्रियाकलापों का वृत्त प्रस्तुत करेंगे ;

(ख) ऐसे संपरीक्षक को जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान न्यासी द्वारा व्यय किए गए सभी धनों का लेखा आवश्यक वाउचरों सहित प्रस्तुत करेंगे ।

(2) न्यासी सर्वसाधारण की सूचना के लिए ऐसी रिपोर्ट और लेखाओं को प्रतिवर्ष प्रकाशित करेंगे ।]

11. एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहों का संग्रहालय में पृथक् रखा जाना—(1) न्यासी उक्त भारतीय संग्रहालय में उन संग्रहों की, जो पहले बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के स्वामित्व में थे, [6][(जो अब एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के नाम से ज्ञात है)] प्रत्येक वस्तु को

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा "ऐसे नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 7 द्वारा धारा 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 8 द्वारा धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

और धारा 6 के अधीन क्रय से भिन्न अन्य किसी बात से इसके पश्चात् की गई उसमें सभी वृद्धियों को चिह्नित और संख्यांकित कराएंगे और (धारा 7 और 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) ऐसे चिह्नों और संख्यांकों सहित उक्त संग्रहालय में रखवाएंगे और बनाए रखेंगे ।

(2) उक्त सोसाइटी द्वारा ऐसी वृद्धियों की एक सूची बनाई जाएगी, जिसकी एक प्रति न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित की जा कर उक्त सोसाइटी को परिदत्त की जाएगी, और एक अन्य प्रति उक्त सोसाइटी की परिषद् द्वारा हस्ताक्षरित की जा कर न्यासियों को परिदत्त की जाएगी, और उनके द्वारा उस सूची के साथ रखी जाएगी जो न्यासियों के पद में पूर्ववर्तियों ने परिदत्त की थी जब उक्त संग्रह उक्त संग्रहालय में निक्षिप्त किए गए थे ।

12. विनिमय में प्राप्त या क्रय की गई वस्तुओं का और विक्रय से प्राप्त धन का न्यासत: धारण किया जाना—धारा 7 के अधीन विनिमय में लिए गए सभी पदार्थ और क्रय की गई वस्तुएं और उस धारा के निबन्धनों के अनुसार विक्रय से आपन किए गए सभी धन न्यासत: धारण किए जाएंगे और इस अधिनियम द्वारा मर्यादित और घोषित न्यास, शक्तियों और घोषणाओं से निकटतम समान शक्तियों और घोषणाओं के अधीन होंगे ।

अनुपूरक उपबन्ध

[1][**12क. केन्द्रीय सरकार की न्यासी को निदेश जारी करने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, न्यासी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे जो केन्द्रीय सरकार उन्हें समय-समय पर दे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी निदेश के दिए जाने के पहले न्यासी को अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

13. अधिनियम के अधीन अधिकारियों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी और सेवक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे [2]*** ।

14. न्यासी की ऐसे संग्रहों को रखने की शक्ति जो उनके स्वामित्व में नहीं हैं—इसमें इसके पहले किसी बात के होते हुए भी, न्यासी, यदि वह ठीक समझे तो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, और प्रत्येक दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिनका वह अनुमोदन करे और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो वह विहित करे, ऐसे संग्रहों की, अभिरक्षा और प्रशासन संभाल सकते है जो न्यासी की इस अधिनियम के अधीन उनके न्यास के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति नहीं है और ऐसे संग्रहों को या तो भारतीय संग्रहालय में या अन्यत्र रख सकते हैं और उनकी परीक्षा कर सकते हैं :

परन्तु यदि इस अधिनियम द्वारा गठित न्यास किसी समय पर्यवसित हो जाता है तो, ऐसे संग्रह इस कारण कि वे भारतीय संग्रहालय में थे, सरकार की सम्पत्ति नहीं हो जाएंगे ।

[3][**15. न्यासी की उनकी कब्जे की कुछ सम्पत्ति से विलग होने की शक्ति**—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, न्यासी अनुसूची में वर्णित समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग के कब्जे का ऐसे व्यक्ति को परिदान कर सकते हैं जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।]

[4][**15क. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, न्यासी के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :—

(क) संग्रहालय के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तें ;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें संग्रहालय के लेखे जाएंगे और वह रीति जिसमें ऐसे लेखों की संपरीक्षा की जाएगी ;

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिनके अधीन न्यासी धारा 14 में निर्दिष्ट किन्हीं संग्रहों की अभिरक्षा और प्रशासन संभाल सकते हैं और ऐसे संग्रहों को रख सकते है और उनकी परिरक्षा कर सकते हैं ;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन न्यासी किसी अन्य व्यक्ति को उस सम्पत्ति का कब्जा परिदान कर सकते हैं जो उनके कब्जे में है ।

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 11 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 45 की धारा 12 द्वारा अंतस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(3) वे शर्तें जिनके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

16. न्यास के पर्यवसान पर संग्रहों की सम्पत्ति—यदि इस अधिनियम द्वारा गठित न्यास किसी समय पर्यवसित हो जाता है तो,—

(क) धारा 11 में उल्लिखित संग्रह और वृद्धियां उक्त एशियाटिक सोसाइटी या उसके समनुदेशितियों की सम्पत्ति हो जाएंगी, और

(ख) उक्त भारतीय संग्रहालय के सभी अन्य संग्रह, धारा 14 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाए, सरकार की सम्पत्ति हो जाएंगे ।

17. [निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

अनुसूची

(धारा 6 और 15 देखिए)

सभी विद्यमान या उस पर परिनिर्मित भवनों, सड़कों और तालाबों और उनसे सम्बद्ध सभी सुविधाधिकारों सहित वह भूमि जिसके,—

उत्तर में परिसर सं० 2 सदर मार्ग, और सदर मार्ग है ;

पश्चिमी में चौरंगी मार्ग और परिसर सं० 29, चौरंगी मार्ग है (जो बंगाल यूनाइटेड सर्विस क्लब के अधिभोग में है) ;

दक्षिण में परिसर सं० 29 चौरंगी मार्ग, किड मार्ग है और परिसर सं० 4 चौरंगी लेन है ; और

पूर्व में परिसर सं० 15 किड मार्ग और परिसर सं० 4, 3, 2 और 1 चौरंगी लेन है ।

———

[1] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।